

|     | प्रासंगिक टूरिंग  | 01-08-2004 से प्रभावी दरें |     |      | 01-09-2006 से प्रभावी दरें |      |      |
|-----|---|----------------------------|-----|------|----------------------------|------|------|
|     |   |                            |     |      |                            |      |      |
| 1.  | चिकित्सा अधिकारी  | --                         | --  | --   | --                         | --   | --   |
| 2.  | उप सीएओ   | 744                        | --  | 2033 | 930                        | --   | 2541 |
| 3.  | उप एफए (एच)   | 744                        | --  | 2033 | 930                        | --   | 2541 |
| 4.  | सीई को टीओ, उप निदेशक (पी एंड सी), भूमि एवं आवास विभाग के सभी संयुक्त/ डीडी   | 814                        | 814 | 2459 | 1018                       | 1018 | 3074 |
| 5.  | प्रोटोकॉल (सहायक)   | 490                        | --  | --   | 613                        | --   | --   |
| 6.  | लेखा अधिकारी  | 744                        | 814 | 1854 | 930                        | 1018 | 2318 |
| 7.  | लाइब्रेरियन   | 684                        | --  | 1854 | 855                        | --   | 2318 |
| 8.  | इकोनॉमिस्ट/ भूमि इकोनॉमिस्ट   | 744                        | 814 | 2033 | 930                        | 1018 | 2541 |
| 9.  | सहायक अभियंता (प्रशिक्षण)   | 814                        | 814 | 1854 | 1018                       | 1018 | 2318 |
| 10. | खेल समन्वयक   | 744                        | 744 | --   | 930                        | 930  | --   |
| 11. | अनुसंधान सहायक, योजना सहायक   | 653                        | 814 | --   | 816                        | 1018 | --   |
| 12. | प्रलेखन अधिकारी   | 684                        | --  | --   | 855                        | --   | --   |
|     | <b>मार्जिनल टूरिंग</b>  |                            |     |      |                            |      |      |
| 1.  | उप निदेशक (सिस्टम)  | 707                        | 775 | 1938 | 884                        | 969  | 2423 |
| 2.  | उप सचिव (हिंदी), संयुक्त/ कार्मिक शाखा में नियुक्त उप निदेशक  | 775                        | 775 | 2341 | 969                        | 969  | 2926 |
| 3.  | वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी   | 775                        | 775 | 2341 | 969                        | 969  | 2926 |
| 4.  | निजी सचिव, पी.ए., स्टेनोग्राफर [समूह 'घ' में रु. 4000-6000 के वेतनमान में आशुलिपिक जो रु. 4400/- अथवा इससे उपर के मूल वेतन में पहुंचने पर एफटीए/ एफसीए की पात्रता होगी] | 625                        | 707 | --   | 781                        | 884  | --   |
| 5.  | लेखाकार/ एएओ (जो प्रभागों में तथा विकास सदन/ विकास मीनार के बाहर पदस्थ हैं)   | 684                        | 852 | --   | 855                        | 1065 | --   |
| 6.  | खेल परिसर में नियुक्त प्रबंधक   | 775                        | 775 | --   | 969                        | 969  | --   |
| 7.  | स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नियुक्त सहायक प्रबंधक   | 761                        | --  | --   | 951                        | --   | --   |